न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– भगवान सहाय शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
2/2012/प्रा.पत्र/2012	10.05.2012	17.06.2015

श्री सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री हेमन्त कुमार लड्डा पुत्र श्री प्रहलाद लड्डा (विक्रेता) हेमन्त किराण स्टोर कोटा रोड देवली जिला टोंक। निवासी पटेल नगर देवली जिला टोंक।
2–मैसर्स हेमन्त किराणा स्टोर कोटा रोड देवली जिला टोंक।

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(v) एवं दण्डनीय धारा 58
एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूजर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित

:–निर्णय–:

प्रकरण श्री सत्यनारायण गूजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच./पीएफए/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला टोंक आवण्टित किया गया है और टोंक जिले के अन्तर्गत आने वाल समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतिया न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2011 को समय 1.30 पी.एम. पर कोटा रोड देवली जिला टोंक पहुंचा वहां पर श्री हेमन्त कुमार लड्डा पुत्र श्री प्रहलाद लड्डा अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ विक्रय करते हुए मिला जिसको अपना परिचय देने व पूछने पर उसने स्वयं को मैसर्स हेमन्त किराणा स्टोर का एक मात्र मालिक होना बताया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु रखी स्टील की एक टंकी में लगभग 12–13 किलो ग्राम सरसो का तेल (लूज) रखा हुआ था इस सरसो के तेल (लूज) में मिलावट का शक होने पर उसमें से सरसो का तेल (लूज) हिलाकर एक रूप कर उसमें से एक किलो 600 ग्राम सरसो का तेल (लूज) वास्ते नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 120.00/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की गयी। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए. की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर,समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अप्रार्थी एवं गवाह ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की। फर्द रिपोर्ट एवं फार्म सं0 5ए आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
टोंक (राज.)

आवेदक ने खरीदशुदा सरसो का तेल (लूज) को हिलाकर एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा सरसो का तेल (लूज) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर बोतलों का ढंक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया तथा निर्धारित लेबल प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं ड़ी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–103 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को खाकी कागज में लपेटकर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं0 I–103 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना लेकर चारो भागो को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./11/4153 दिनांक 01.12.11 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/46/एफ.एस.एस.ए./2011/46 दिनांक 01.11.11 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया अवमानक सरसो का तेल (लूज) CONTRAVENE होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा CONTRAVENE सरसो का तेल (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी व उसके अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसो का तेल (लूज) का विक्रय कर रहा था वह जांच में CONTRAVENE पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2012 को प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके अनुसार प्रतिपक्षी सरसो का तेल खुला विक्रय नहीं करता है बल्कि नियमानुसार विक्रय करता है, प्रतिष्ठान सरसो का तेल लूज हालत में रखता भी नहीं है। दि0 19.10.2011 को किसी भी स्टील की टंकी में 12–13 किलो सरसो का तेल लूज हालत में रखा हुआ नहीं था। उसी दिन आवेदक ने प्रतिष्ठान पर रखे हरदिल ब्राण्ड में से सैम्पल के लिए तेल लिया उसे सीज भी नहीं किया, दुकान पर अन्य दुकानदार दवेन्द्र हाडा,दयाराम आदि भी आये जिन्है बतौर गवाह प्रार्थी ने उनसे हस्ताक्षर करवाने को कहा किन्तु आवेदक ने जानबूझकर उक्त गवाहान के हस्ताक्षर नहीं करवाये। आवेदक ने प्रतिपक्षी की दुकान से खुला तेल प्राप्त नहीं किया है। आवेदक ने प्रतिपक्षी हेमन्त कुमार के खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये है। सरसो के तेल का प्रतिपक्षी निर्माता या उत्पादक नहीं है। हरदिल ब्राण्ड सरसो का तेल के टीन प्रतिपक्षी ने मैसर्स श्री अजंनी ट्रेडर्स से दिनांक 4.04.2011 को खरीद किये थे। हरदिल ब्राण्ड सरसो का तेल के बाहर आउटर कवर पर उसके निर्माण की तारीख, उसका बेच नं, लॉट नं0 बेस्ट बिफोर यूज , वनज, राशि व अन्य माणक जो फूड एण्ड सैफ्टी एक्ट के अनुसार या अन्य प्रावधानो के अनुसार आवश्यक थे, अंकित थे। आवेदक द्वारा लिया गया सैम्पल CONTRAVENE नहीं है और ना ही

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी

मिस ब्राण्ड की परिभाषा में आता है। प्रतिपक्षी ने उक्त नियम अथवा धारा का उल्लंधन नहीं किया है जिसके लिए प्रतिपक्षी के विरूद्व धारा 58 के तहत कार्यवाही की जासके। आवेदक द्वारा निर्धारित समयक भीतर सैम्पल को ए.एस.एल. के लिए नहीं भेजा इस कारण भी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही निरस्त किये जाने व प्रतिपक्षीगण को बरी किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से जांच हेतु लिया गया सरसो का तेल (लूज) जांच में CONTRAVENE पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) व 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हेमन्त कुमार लड्डा पुत्र श्री प्रहलाद लड्डा मैसर्स हेमन्त किराणा स्टोर कोटा रोड देवली निवासी पटेल नगर देवली जिला टोंक पर 51,000/—(अक्षरे इक्यावन हजार रू0) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.06.2015 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2015 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(भगवान सहाय शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, टोंक